तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
13/6/18	पत्रावली पेश कोर्ट की गई हुई। वकील आवेदक उपस्थित। बहस वकील सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रा. पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर आज खुले में सुनाया किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नियम सेवा हो। सुनाया। [signature] उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्री कनिष्क सैनी आर ए एस

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 2/392/15

बउनवान

1. मंगतूराम पुत्र हरसी जाति जाट निवासी मंगोलाकी
2. बनयसिंह पुत्र हरसी जाति जाट निवासी मंगोलाकी

तहसील कठूमर जिला अलवर

—— सायलान

बनाम

1. कमलसिंह पुत्र नारायणसिंह जाति राजपूत निवासी मंगोलाकी
2. रामस्वरूप पुत्र नारायणसिंह जाति राजपूत निवासी मंगोलाकी

तहसील कठूमर

3. उप पंजीयक कठूमर तहसील कठूमर

गैरसायलान

दर0 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :

श्री चन्द्रप्रकाश शर्मा :– अधिवक्ता सायलान

श्री देवेन्द्रसिंह नरूका : अधिवक्ता गैरसायल संख्या 1–2

आदेश

दिनांक 13.06.2018

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बरान 1807 रकवा 0.47 हे. जो साविक खसरा नम्बर 1119 रकवा 13 विस्वा 1120 रकवा 1 वीघा 4 विस्वा ग्राम सौंखरी तहसील कठूमर से बनाये गये है। ग्राम सौंखरी में से नया राजस्व ग्राम मंगोलाकी बना है इस वजह से साविक खसरा नम्बर 1119, 1120 हाल खसरा नम्बर 1807 ग्राम मंगोलाकी में वाके है। विवादित आराजी

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner

अरजनसिंह पुत्र भौरजी, भागीरथसिंह पुत्र अरजनसिंह गोपी पुत्र जोरावर राजपूत निवासी मंगोलाकी की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजीथी उक्त आराजी मुतनाजा को अरजनसिंह, भागीरथसिंह गोपी ने अपनी पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये साबिक खसरा नम्बर 1119–1120 वाके ग्राम सौंखरी हाल मंगोलाकी को सायलान के पिता हरसी पुत्र काडा को मुब0 7000 रूपये नकद जरे वय लेकन बेचान कर दिया तथा खसरा नम्बर 1049 रकबा 3 बीघा 02 विस्वा को मानसिंह हरीसिंह सत्यनारायण सूरज पुत्रान मुरली जाट को जरिये रजिस्टर्ड वयनामा वेचान कर दिया। जिन रजिस्टर्ड वयनामा के वक्त से सायलान विवादित आराजी पर काविज रहकर काश्त करते चले आ रहे है तथा मौके पर सायलान खातेदार काश्तकार की हैसियत से काविज रहकर काश्त कर रहे है। वक्त वयनामा बन्दोबस्त चल रहा था वन्दोवस्त विभाग के कर्मचारियान वो अधिकारियान ने विधि विरूद्व तरीके से सायलान को विना सुनवाई का अवसर दिये ही विवादित आराजी में से वेचान कर्ता का नाम हटाकर गैरकानूनी रूप से गेरसायल संख्या 1–2 के नाम दर्ज कर दिया। जिस इन्द्राज को सायलान कलमजन कराने के अधिकारी है। गैरसायलान गलत राजस्व रेकार्ड की आड में विवादित आराजी में सायलान के कब्जे काश्त में बाधा पैदा करते है जवरन वेदखल कर खुद कब्जा करने व गेरसायल संख्या 3 से मिलकर रहन वय करने की धमकी देते है। जवकि गैरसायलान को ऐसा करने का कोई हक वो अधिकार नहीं है यदि गैरसायलान अपने नापाक ईरादों में कामयाव हो गये तो सायलान को अपार हानि क्षति व असुविधा होगी। अतः सायलान ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैरसायलान को दावा के निस्तारण तक विवादित आराजी खसरा नम्बर हाल 1807 रकवा 0.47 हे. वाके ग्राम मंगोलाकी में सायलान के कब्जे काश्त में किसी तरह की रूकावट व मजाहमत पैदा ना करने जवरन वेदखल कर खुद कब्जा ना करने व रहन वय हिवा आदि द्वारा दीगर व्यक्तियों को मुन्तकिल ना करने वावत पाबन्द करने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलव किया गया। गैरसायल सं0 1–2 मय अधिवक्ता हाजिर हुये है।

उपखण्ड अधिकारी
कोटपूतली (अलवर)

Scanned by CamScanner

सायलान ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में वयनामा दिनांक 03.05.1972 जमाबन्दी संवत् 2068 से 2071 मिलान क्षैत्रफल नकल जमाबन्दी सैटलमेंण्ट खसरा गिरदावरी संवत् 2026 से 2029, 2020 से 2024 की छाया प्रति पेश की है। जो शामिल पत्रावली है।

वहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्ता सायलान ने अपनी वहस में अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी सायलान की जरिये रजिस्टर्ड वयनामा खरीदशुदा कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है वक्त वयनामा से सायलान का लगातार कब्जा चला आ रहा है। वन्दोवस्त विभाग ने मौके के विपरीत विवादित आराजी को गेरसायल संख्या 1–2 की खातेदारी में दर्ज कर दिया है। वन्दोवस्त से आज तक का राजस्व रेकार्ड गलत है। गैरसायलान गलत राजस्व रेकार्ड के आधार पर सायलान के कब्जे काश्त में बाधा पैदा करते है रहन वय करने की धमकी देते है। अतः गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता गैरसायलान ने अपनी वहस में विद्वान अधिवक्ता सायलान के तथ्यों का विरोध किया है व सायलान का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेंकार्ड का अवलोकन किया तथा विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की वहस पर मनन किया। सायलान को अपने प्रार्थना पत्र को सावित करने के लिये निम्न विन्दुंओं को अपने पक्ष में सावित कराना है :

1. प्रथम दृष्टा केस
2. सुविधा का सन्तुलन
3. ना पूर्ति होने वाली क्षति

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की वहस पर मनन किया। यह सही है कि आराजी खसरा नम्बर हाल 1807 रकवा 0.47 हे. वाके ग्राम मंगोलाकी साविक खसरा नम्बर 1119 रकवा 13

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner

विस्वा 1120 रकवा 1 वीघा 4 विस्वा ग्राम सौंखरी तहसील कठूमर से बनाये गये है। पत्रावली में संलग्न साविक रेवन्यु रेकार्ड के अनुसार विवादित आराजी साविक खसरा नम्बर 1119–1120 वाके ग्राम सौंखरी अरजनसिंह पुत्र भौरजी भागीरथसिंह पुत्र अरजनसिंह व गोपी पुत्र जोरावर जाति राजपूत निवासी मंगोलाकी की खातेदारी की आराजी थी। मुताविक छाया प्रति रजिस्टर्ड वयनामा दिनांक 03.05.1972 के अनुसार उक्त खातेदारान ने उक्त आराजी को सायलान के पिता को जरे वय लेकर विकय कर विवादित आराजी का कब्जा दे दिया। जिस रजिस्टर्ड वयनामा के आधार पर विवादित आराजी पर सायलान के कब्जे काश्त का अनुमान किया जाता है। गैरसायलान ने यदि सायलान को विवादित आराजी से वेदखल कर दिया या जवरन कब्जा कर लिया या दीगर लोगों को विकयकर दिया तो अपार हानि व असुविधा सायलान को होना संभव है। प्रथम दृष्टा केस सुविधा का सन्तुलन एंव ना पूर्ति होने वाली क्षति तीनों विन्दु सायलान के पक्ष में प्रवल है। गैरसायलान को पावन्द किये जाने से उन्हें किसी तरह का नुकशान होती हो इस तरह की स्थिति अदालत के समक्ष नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैरसायलान को दावा के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाता है कि वो आराजी खसरा नम्बर 1807 रकवा 0.46 हे. वाके ग्राम मंगोलाकी तहसील कठूमर में सायलान के कब्जे काश्त में किसी तरह की रूकावट व मजाहमत पैदा ना करें जवरन वेदखल कर खुद कबजा ना करें रहन वय ना करे तथा मौका एंव रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें राजस्व रेकार्ड में किसी तरह का परिवर्तन नहीं करे। पत्रावली फैसल सुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न हो।

(कनिष्क सैनी)
उपखण्ड अधिकारी, कठूमर(अलवर)

आज दिनांक 13.06.2018 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कनिष्क सैनी)
उपखण्ड अधिकारी, कठूमर(अलवर)

Scanned by CamScanner